संख्या-24/2017/1059/12-5-2017-सा0-151/2017

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त उप कृषि निदेशक,
(नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम योजना-जनपद)
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 21 सितम्बर, 2017**

विषय:- नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 में वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु जिला सेक्टर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्र संख्या-ति0/540/लेखा-1/2017-18 दिनांक 28 जुलाई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्डऑयल पॉम योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 (अनुसूचित जनजाति) में वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू० 20.00 लाख के सापेक्ष संलग्न विवरण के अनुसार रू0 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम योजना में 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि सम्मिलित है। जनपदवार परिव्यय निर्धारित न होने की दशा में वर्ष 2017-18 की जिला योजनओं के लिए जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने के उपरान्त जारी स्वीकृतियों को आवंटित परिव्यय में समायोजित किया जायेगा और तद्नुसार यथावश्यक जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करा लिया जायेगा तथा शासन को सूचित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का उपयोग नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन तथा भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

5- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कृषि निदेशक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

6- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्टर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-11, दिनांक 29.05.2012 द्वारा समस्त भुगतान एन.ई.एफ.टी./आ.टी.जी.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011-58/2013/डी0बी0टी0, दिनांक 25.02.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत नगद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तदनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

8- उपरोक्त धनराशि व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जो मद भारत सरकार द्वारा अनुमोदित न हो, उस पर किसी भी दशा में व्यय न किया जाय तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत धनराशि के उपयोग की मासिक भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार/शासन को उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित करेंगे एवं कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी कार्य योजना में उल्लिखित मदो हेतु निर्धारित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

9- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-796-जनजाति क्षेत्र की उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम योजना के (केन्द्रांश 60*राज्यांश 40 प्रतिशत) के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190//दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-24/2017/1059(1)/12-5-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि निदेशक, कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के संबंध में तत्काल अवगत कराते हुए यथावश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. विशेष सचिव, समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) विधान भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
8. संयुक्त कृषि निदेशक नियोजन, कृषि भवन, लखनऊ।
9. अपर कृषि निदेशक (तिलहन), उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
10. नियोजन अनुभाग-3/वित्त(ई)-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।